GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI DEPARTMENT OF TRADE & TAXES (POLICY BRANCH) VYAPAR BHAWAN, I.P.ESTATE, NEW DELHI -02.

CERTIFICATE

It is hereby certified that the contents of the soft copy as well as the hard copy (both in English & Hindi Notification) as given in the Notification F2 (12)/Policy/2017/1066-73 dated 15/11/2017 are the same and also approved by the competent authority.

Kusum Minj AVATO (Policy)



(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRA-ORDINARY) GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI DEPARTMENT OF TRADE AND TAXES (POLICY BRANCH) VYAPAR BHAWAN, I.P. ESTATE, NEW DELHI-110002

No. F.2 (12)/Policy/2017/ 1066 - 1073

Dated: 15 | 11 | 2017

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred upon me by sub-section (1) read with sub-section (3) of section 70 of the Delhi Value Added Tax Act, 2004, I, H. Rajesh Prasad, Commissioner, Value Added Tax, Government of National Capital Territory of Delhi, as per public interest, do hereby extend the last date of submitting the details of closing stock as was held by the registered dealers on 31st March, 2017 and 30th June, 2017, online on the website of the department i. e. www.dvat.gov.in as per the following format, upto 15th December, 2017.

Rate	Amount (₹)
0%	
1%	The state of the s
5%	
12.50%	
20%	
TOTAL	

This notification shall come into force with immediate effect.

(H. RAJESH PRASAD) COMMISSIONER, VAT

No. F.2(12)/Policy/2017/ \066- \073

Dated: 15/11/247

Copy forwarded for information and necessary action to:-

1. Pr. Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.

The Principal Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi- with one spare copy for publication in Delhi Gazette Part-IV (extraordinary) in today's date.

- 3. Principal Secretary to the Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat , New Delhi.
- 4. All special/ Addl./ joint commissioners, Department of Trade of Taxes , Vyapar Bhawan.
- 5. Spl. Commissioner (PR) , Department of Trade &Taxes, Vyapar Bhawan, I.P Estate , New Delhi-to arrange to give wide publicity to this notification.
- 6. Programmer (EDP), Department of Trade & Taxes , I.P Estate , New Delhi- to upload the notification on the website of the Department .
- 7. All Acs/GSTOs, Department of Trade & Taxes, Vyapar Bhawan, I.P Estate , New Delhi through their ZOs.
- 8. President/ Secretary, sales Tax Bar Association (Regd.), Vyapar Bhawan, New Delhi.
- 9. Guard File.

KUSUMMINJ AVATO (POLICY)

(दिल्ली राजपत्र भाग-4 असाधारण में प्रकाशनार्थ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार व्यापार एवं कर विभाग व्यापार भवन, आई० पी० एस्टेट,नई दिल्ली-110002

सं0फा0: 2(12)/पोलीसी/वैट/2017/ \066- \073

दिनांकः (5/11/२०17

अधिसूचना

सं०फा0: 2(12)/पोलीसी/वैट/2017 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2004 की धारा 70 की उपधारा(1) के साथ पठित उपधारा (3) के अन्तर्गत मुझे प्रदत्त की गयी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, एच. राजेश प्रसाद, आयुक्त, मूल्य संवर्धित कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, सार्वजनिक हित के अनुसार, सभी पंजीकृत व्यापारियों द्वारा अपना शेष मंडार प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को 15 दिसंबर 2017 तक बढा दिया गया हैं, जो इस अधिनियम के तहत 31 मार्च 2017 और 30 जून 2017 को पंजिकृत थें, नीचे वर्णित सारणी के अनुरूप विभागीय वेबसाइट www.dvat.gov.in पर ऑनलाइन जमा करना अपेक्षित हैं।

दिनांक को शेष भण्डार	
दर	राशि (₹)
0%	
1%	
5%	
12.50%	
20%	
जुल योग	

यह अधिसूचना तत्काल प्रभावी होगी ।

सं0फा0: 2(12)/पोलीसी/वैट/2017/ \०६६- \०73

दिनांकः (5) 11 /2012

(एच. राजेश प्रसाद) आयुक्त, मूल्य संवर्धित कर

निम्न प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित :--

प्रधान सचिव (वित्त), वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

प्रधान सचिव (सामान्य प्रशासन विमाग), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, नई दिल्ली को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र माग–4 (असाधारण) में प्रकाशनार्थ ।

प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई

प्रधान सावव, मुख्यमत्रा, राष्ट्राय राज्यात वात्र दिल्ली। समस्त विशेष/अतिरिक्त/संयुक्त आयुक्त, व्यापार एवं कर विमाग, व्यापार भवन, आई०पी०एस्टेट,नई दिल्ली। विशेष आयुक्त(पीआर), व्यापार एवं कर विमाग, व्यापार भवन, आई०पी०एस्टेट, नई दिल्ली को इस अधिसूचना के व्यापक प्रचार हेतु। अध्यक्ष/सचिव , बिक्री कर बार एसोसिएशन (पंजी०), व्यापार भवन, आई०पी०एस्टेट, नई किल्ली।

प्रोग्रामर (ईंडीपी), व्यापार एवं कर विमाग, व्यापार मवन, आई०पी०एस्टेट, नई दिल्ली को अधिसूचना को विमाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
समस्त सहायक आयुक्त/ सहायक वैट अधिकारी, व्यापार एवं कर विमाग, व्यापार भवन, आई०पी०एस्टेट, नई दिल्ली को जोनल इंचार्ज के माध्यम से ।
निजी सचिव, आयुक्त, मूल्य संवधित कर, व्यापार एवं कर विमाग, व्यापार मवन, आई०पी०एस्टेट, नईदिल्ली।
गार्ड फाईल।

्राया मित्र कुसुम मिज सहायक मूल्य वर्धित कर अधिकारी (नीति)